संख्या- 661 /26-ब0प्र0-2013-4(3)/2012टीसी

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2013

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की शतप्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित " अनुसूचित जाति पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति" योजना के अन्तर्गत किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2950/स0क0/शिक्षा-अ/2013-14, दिनांक 31.10.2013 जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत रू0 195.39 करोड़ के अनुमानित व्यय की आवश्यकता बतायी गयी है, के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-358/26-ब0प्र0-2013-4(3)/2012टीसी, दिनांक 02.05.2013 जिसके द्वारा योजनान्तर्गत रू0 75.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की शतप्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचति जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत किये गये आय-व्ययक प्राविधान रू0 300.00 करोड़ एंव राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से आवश्यकता के अनुरूप अवशेष धनराशि रू0 120.39 करोड़ (रू0 एक अरब बीस करोड़ उन्तालीस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी हैं।

(2)- धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा न की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स का अनुपालन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। पूर्व में निर्गत धनराशि एवं अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0120-अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति (के.100/रा.0-के.)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 661 (1)/26-ब0प्र0-2013-तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1/2
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in